



## चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एंटीरोमियो टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वाडों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व [www.cybercrime.gov.in](http://www.cybercrime.gov.in) के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्कवायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका अफरोज जहाँ ने अपने पति के विरुद्ध लड़ाई झगड़ा, मारपीट व बच्चों के भरण पोषण करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र टीम महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह, महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी व महिला आरक्षी अनामिका सिंह द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामंजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामंजस्य बिठाकर एवं पारिवारिक दायित्वों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

**समझौता कराने वाली टीम:-**

1. मुख्य महिला आरक्षी रजनी सिंह
2. महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी
3. महिला आरक्षी अनामिका सिंह

(3). आज दिनांक 18.07.2026 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री पुलकित गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील सभागार मऊ में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने समाधान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण रजिस्टर का परीक्षण करते हुए निस्तारण आख्या को देखकर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, उन समस्याओं के निस्तारण से समस्या ग्रस्त व्यक्ति को भी अवगत कराया जाए। इस समाधान दिवस पर विद्युत, चकबंदी, पैमाइश, चकरोड व जलभराव से संबंधित कई शिकायती पत्र प्राप्त हुए। सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने भू-राजस्व अधिनियम की धारा-24 के अंतर्गत पत्थरगढ़ी उखाड़ने के मामलों को अत्यंत गंभीरता से लिया। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि यदि जनपद में विधिक पैमाइश के पश्चात पत्थरगढ़ी उखाड़ने का कोई भी प्रकरण सामने आता है, तो दोषियों के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए। जिलाधिकारी ने भूमि विवादों के पारदर्शी निस्तारण के लिए राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमों को अनिवार्य रूप से स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

पुलिस अधीक्षक द्वारा कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने और महिला संबंधी प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारित करने के निर्देश दिए।

(4). पुलिस महानिदेशक उ०प्र० महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकान्त राय एवं पैरोकार आरक्षी आकाश यादव व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ०नि० श्री कमल किशोर व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस एक्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनांक 18.07.2026 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु०अ०सं० 45/2014 धारा 147,333,323,504,506 आईपीसी एक्ट के 06 आरोपी

अभियुक्तगण 1.अजय कुमार सिंह पुत्र छैलविहारी 2..जानू पटेल पुत्र स्व० अवधविहारी 3 लवकुश पटेल पुत्र बाबूलाल पटेल 4.रानू पटेल पुत्र राजबहादुर पटेल 5.राजेन्द्र पटेल पुत्र बाबूलाल पटेल 6.रामनरेश पुत्र स्व० हीरालाल निवासीगण प्रसिद्धपुर थाना पहाडी जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को 24000-24000/- रुपये के अर्थदण्ड से से दण्डित किया गया।